श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 02.11.2016 को परवत्ता एवं गोगरी प्रखंड के संवेदनशील घाटों का निरीक्षण टिप्पणी।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता/गोगरी, अंचल अधिकारी, परबत्ता/गोगरी एवं थानाध्यक्ष, परबत्ता/गोगरी के साथ परबत्ता एवं गोगरी प्रखंड के संवेदनशील घाटों का निरीक्षण किया गया, जो निम्नप्रकार हैः–

1.<u>अगुवानी घाटः–</u>

अगुवानी घाट का निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि अगुवानी घाट में दो घाटों पर अर्ध्य दिया जाता है। अगुवानी घाट के गंगा नदी के मुख्य धारा वाले घाट पर लगभग 1000 छठ व्रतियों द्वारा सूर्य भगवान को अर्ध्य दिया जाता है। गंगा नदी के छाड़न वाले घाट पर दोनों तरफ लगभग 4000–5000 छठ व्रतियों द्वारा अर्ध्य दिया जाता है। छठ घाटों पर रोशनी एवं साफ–सफाई के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा बताया गया कि घाट पर रोशनी एवं साफ–सफाई की व्यवस्था छठ पूजा समिति द्वारा किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, परबत्ता को निदेशित किया गया कि पूजा समिति से अगुवानी के सभी घाटों पर रोशनी एवं साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। साथ ही अगुवानी घाट के सभी घाटों को चार (4) फीट से अधिक पानी वाले क्षेत्र को बैरिकेडिंग कराकर प्रतिबंधित करा दिया जाय तथा लाल झंडा लगा दिया जाय। पृच्छा किये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि अगुवानी घाट पर 02 गोताखोर तथा एस0डी0आर0एफ0 की टीम की प्रतिनियुक्ति की गयी है। निरीक्षण में अगुवानी छठ घाट पर शिविर लगा हुआ पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, प्रखंड विकास पदाधिकाशी/अंचल अधिकारी, परबत्ता को निदेशित किया गया कि छठ शिविर में बैनर लगा दिया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होने पाये।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकाकरी, परबत्ता)

2.<u>तेमथा घाटः–</u>

तेमथा घाट का निरीक्षण किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा बताया गया कि इस घाट पर तेमथा, सिराजपुर एवं परबत्ता के छठ व्रतियों द्वारा सूर्य भगवान को अर्ध्य दिया जाता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस घाट पर लगभग 2000 छठ व्रति अर्ध्य देते है तथा साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था पूजा समिति द्वारा किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, परबत्ता को निदेशित किया गया कि 4–5 पूजा समिति के गणमान्य व्यक्तियों की समिति बनाकर घाट की साफ–सफाई एवं रोशनी

की व्यवस्था हेतु जवाबदेही निर्धारित कर दिया जाय तथा चार (4) फीट से अधिक पानी वाले क्षेत्र को बांस से दोहरा बैरिकेडिंग कराकर प्रतिबंधित कर दिया जाय एवं लाल झंडा लगा दिया जाय।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबता/अंचल अधिकारी, परबत्ता)

3.कज्जलवन घाटः–

कज्जलवन घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि घाट काफी गड्ढा है तथा पानी अधिक है। निरीक्षण में पाया गया कि यह घाट छठ अर्ध्य के अनुकूल नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेशित किया गया कि इस घाट को खतरनाक घाट घोषित कर दें तथा खतरनाक घाट का नोटिस लगा दें। साथ ही स्थानीय लोगों की एक बैठक बुलाकर इस घाट पर अर्ध्य नहीं देने हेतु अनुरोध करें। इस घाट पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति यथावत रहेगी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी इस घाट पर आने वाले छठ व्रतियों को इससे सटे घाट रूपौली में अर्ध्य देने का अनुरोध करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को यह भी निदेश दिया गया कि मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार करायेगे कि यह घाट खतरनाक है तथा इस घाट पर कोई छठ व्रति अर्ध्य नहीं दें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

3.**कुरहा घाटः–**

कुरहा घाट का निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा बताया गया कि इस घाट पर पानी अधिक नहीं है। इस घाट पर भी साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था स्थानीय पूजा समिति के लोग करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, परबत्ता को निदेशित किया गया कि इस घाट में भी 3–4 फीट पानी तक बैरिकेडिंग कराना सुनिश्चत करें तथा पूजा समिति से घाट की साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था कराना सुनिश्चत करें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी,प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता)

4.मीरगंज घाटः–

मीरगंज घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि घाट के कुछ क्षेत्र में पानी अधिक है तथा अर्ध्य देने लायक नहीं हैं। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी निदेश दिया गया कि अधिक पानी वाले क्षेत्र को मजबूती से बैरिकेडिंग करवा दिया जाय तथा घाट की साफ–सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी)

6

5.कामाथान घाटः—

कामाथान घाट का निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि जे0सी0बी0 से मिट्टी काटने के कारण काफी गड्ढा है तथा पानी अधिक है। गत वर्ष इस घाट पर एक बच्ची डूब गयी थी। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा यह भी बताया गया कि इस घाट पर सूप लूटाया जाता है जिसके कारण अफरा तफरी हो जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया कि इस घाट को खतरनाक घाट घोषित करें तथा इस घाट को प्रतिबंधित करें एवं घाट पर लाल झंडा गड़वा दें। साथ ही स्थानीय लोगों की बैठक बुलाकर इस घाट पर अर्ध्य नहीं देने हेतु अनुरोध करें तथा मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करवा दें। इस घाट पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति यथावत रहेगी।

(अनुपालन—अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

ह0/—
जिलाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक 2034 /गो0, दिनांक 03-11-16

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत गोगरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता/गोगरी, अंचल अधिकारी, परबत्ता/गोगरी, थानाध्यक्ष, परबत्ता/मड़ैया/गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

3/11/16
जिलाधिकारी,
खगड़िया